

2135
13/12/20

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0 0002177
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार
श्रीमान, प्राणी दुवारा प्रस्तुत दस्तावेज, मूल्यपत्र, राजकाग, भतकता पहचान पत्र
व शपथ पत्र के आधार पर प्राणी की जमीन का नाम शांती पुत्री करिषल किया जाना
उचित है।
पटवारी 0002177
12/12/2021

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी 13/12/21

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :- 13.12.21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है /नहीं की जाती है।

13/12/2021
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी
तहसीलदार गुढा गौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दराभद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध-प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	दीपपुरा	2075-78	175	शकगारी पुत्री करिषल	शांती पुत्री करिषल

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 2135
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 13/12/21

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी